झारखण्ड सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़

(सूचना)

सरकार के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015, संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची डब्लू.पी.(एस.) संख्या 1474/2017 के न्यायिक आदेश एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 को आधार मानते हुए पाकुड़ जिला अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की औपबंधिक मास्टर वरीयता सूची का निर्माण जिला अन्तर्गत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किया गया है। इसका डाटाबेस शिक्षकों के अवलोकनार्थ पाकुड़ जिला के आधिकारिक वेवसाईट www.pakur.nic.in पर प्रकाशित की जा रही है। औपबंधिक मास्टर वरीयता सूची सावधानीपूर्वक बनाई गई है। फिर भी तकनीकी कारणों से यदि शिक्षकों के नाम के सामने अंकित डाटा में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है या सूची में नाम छुट गया हो तो वे अपना आवेदन साक्ष्य के साथ दिनांक 10.10.2020 तक ई-मेल आई.डी. dsepakur@gmail.com पर PDF File के माध्यम से जमा कर सकते है। उक्त निर्धारित तिथि तक शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा त्रुटि संबंधी दावा प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि इस संबंध में उनको कोई आपत्ति नहीं है, साथ ही गलत प्रविष्टि को सुधार नहीं कराने पर प्रोन्नति से वंचित रखा जायेगा।

Sd/-

जिला शिक्षा अधीक्षक,
–सह–
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी,
पाकुड़।

ज्ञापांक 1193 पाकुड़ /दिनांक 03/10/2020

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पाकुड़ एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

03/10/2020

जिला शिक्षा अधीक्षक
–सह–
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी
पाकुड़।

D.Pandey

Scanned with CamScanner